



UPLK010086072022

न्यायालय Additional District and Sessions Judge Court No 8, Lucknow**पीठासीन अधिकारी- (MOHD. GHAZALI), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06078****Misc. Civil Cases- 721/2022****SMT. MOHINI SHUKLA AND OTHERS
Vs.
SMT. KRISHNA SRIVASTAVA****दिनांक-07.07.2023**

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। प्रार्थना पत्र सी-6 अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र सी-7 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से कथन यह है कि अपीलार्थीगण आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपील संस्थित करने में सोच-विचार करने लगा तथा रूपयों की व्यवस्था हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा बिना अग्रिम कोई विलंब कारित किए हुए प्रस्तुत अपील न्यायालय के समक्ष संस्थित की गई है। उसके द्वारा अपील संस्थित करने में जान-बूझकर विलंब कारित नहीं किया गया है। इसलिए उसके द्वारा अपील संस्थित करने में हुए विलंब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र सी-6 अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा गुण व दोष के आधार पर अपील को सुना जावे।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.01.2022 को पारित किया गया है तथा प्रार्थी/अपीलार्थीगण द्वारा अपील दिनांक 31.05.2022 को संस्थित की गई है जो कि अपील संस्थित किए जाने की अवधि से लगभग दो माह विलंब से है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थीगण द्वारा अपील संस्थित किए जाने में लगभग दो माह का विलंब कारित किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अपीलार्थीगण का धारा-5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सी-6 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थना पत्र सी-6 स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में कारित हुए विलंब को क्षमा किया जाता है। फलस्वरूप प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद

अंतिम रूप से निस्तारित एवं निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2023 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो।

(मो० गज़ाली)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्या० सं०-08,
लखनऊ।

(आई० डी० नं०-यू पी 6078)